



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102026-277188
CG-DL-E-15102026-277188

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 820]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948

No. 820]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2026

सं. 85/2026-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 891(अ).— सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017 के नियम 3 और 4 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, 20 अक्टूबर, 2023 की सा.का.नि. 792(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 77/2023 – सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अध्याय – 71 में, -

- (i) टैरिफ मद 711301 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में, आंकड़ों के लिए “1851.99” के लिए “1794.11” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (ii) टैरिफ मद 711302 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में, आंकड़ों के लिए “29501.09” के लिए “26859.02” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (iii) टैरिफ मद 711401 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में, आंकड़ों के लिए “29501.09” के लिए “26859.02” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 605/13/2023-(डीबीके)]

वी. फणींद्र विस्साप्रगडा, अवर सचिव (ड्राबैक)

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना संख्या 77/2023-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को संख्या जी.एस.आर. 792(ई), दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 64/2026-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 16 जुलाई, 2026 द्वारा किया गया, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 16 जुलाई, 2026 को संख्या जी.एस.आर. 633 (ई), दिनांक 16 जुलाई, 2026 के तहत प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2026

No. 85/2026-Customs (N.T.)

G.S.R. 891(E).— In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (2) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with rules 3 and 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 77/2023 – Customs (N.T.), dated the 20th October, 2023, published *vide* number G.S.R. 792 (E), dated the 20th October, 2023, namely:-

In the said notification, in the Schedule, in Chapter -71, -

- (i) against tariff item 711301, in the entry in column (4), for the figures “1851.99”, the figures “1794.11” shall be substituted;
- (ii) against tariff item 711302, in the entry in column (4), for the figures “29501.09”, the figures “26859.02” shall be substituted;
- (iii) against tariff item 711401, in the entry in column (4), for the figures “29501.09”, the figures “26859.02” shall be substituted.

[F. No. 605/13/2023-(DBK)]

V PHANINDRA VISSAPRAGADA, Under Secy. (Duty Drawback)

Note: The principal Notification No. 77/2023-Customs (N.T.), dated the 20th October, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20th October, 2023 *vide* number G.S.R. 792(E), dated the 20th October, 2023 and was last amended by Notification No. 64/2026-Customs (N.T.), dated the 16th July, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16th July, 2026 *vide* number G.S.R. 633(E), dated the 16th July, 2026.